भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 702

(जिसका उत्तर मंगलवार, 08 फ़रवरी, 2022/23 माघ, 1943 (शक) को दिया जाना है)

"न्यासों/सोसाइटियों द्वारा कर लाभ दावों के सत्यापन"

प्रश्न संख्या 702 श्री सैयद नासिर हुसैन और श्री मल्लिकार्जुन खड़गे:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आयकर अधिनियम की धारा 12क, 80छ और 10(23) (ग) इत्यादि के अंतर्गत न्यासों/सोसाइटियों द्वारा किए गए कर लाभ दावों के सत्यापन के लिए मौजूदा तंत्र क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि आयकर विभाग द्वारा बिना किसी सत्यापन के इन न्यासों को अस्थायी पंजीकरण प्रदान किए जाते हैं;

(ग) यदि हां, तो आयकर अधिनियम के किस उपबंध के अंतर्गत ये अस्थायी पंजीकरण प्रदान किए जा रहे हैं;

(घ) अस्थायी पंजीकरण प्राप्त करने के लिए न्यासों को फर्जी और झूठे दावे करने से रोकेने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ड़) क्या यह धन-शोधन को बढ़ावा देता है और यदि हां, तो अब तक ऐसे कितने मामले पाए गए हैं?

उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(**क**) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12क, 80छ तथा 10(23)(ग) के अंतर्गत न्यासों तथा सोसाइटियों द्वारा कर लाभ के दावे के सत्यापन की प्रक्रिया तब शुरू होती है जब न्यासों/सोसाइटियों द्वारा आयकर विवरणियां (आईटीआर) दाखिल कर दी जाती हैं।

इलैक्ट्रानिक तरीके से आयकर विवरणी दाखिल करते समय छूट का दावा करने वाले न्यास अथवा सोसाइटी के लिए आय की विवरणी दाखिल करने की नियत तिथि से एक माह पूर्व विहित प्रपत्र (10ख, 10खख, आदि) में इलैट्रानिक तरीके से लेखा परीक्षा रिपोर्ट दाखिल करना अनिवार्य है। धारा 143(1) के अंतर्गत मामलों पर कार्रवाई करते समय सीपीसी छूट का दावा करने की अनुमति देने से पूर्व सांविधिक अनुपालना की जांच करता है।

इसके अतिरिक्त, संवीक्षा के लिए मामलों के चयन हेतु कंप्यूटर एडेड संवीक्षा चयन (कैस) में परिदृश्यों को शामिल किया गया है। कंप्यूटर एडेड संवीक्षा चयन (कैस) आईटीआर, आई प्रपत्रों, टीडीएस/टीसीएस में सूचना, तीसरे पक्षकारों द्वारा वर्णित आंकड़ों, विभिन्न अन्य एजेन्सियों से प्राप्त आंकड़ो पर आधारित संवीक्षा के मामले के चयन के लिए एक केन्द्रीकृत प्रणाली है।

संवीक्षा निर्धारणों की कार्रवाई के दौरान न्यासों/सोसाइटियों द्वारा कर लाभ दावों का सत्यापन निर्धारण अधिकारी द्वारा किया जाता है तथा उपयुक्त मामलों में ही दावे की अनुमति दी जाती है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, पुन:पंजीयन प्रदान करते समय प्रधान आयुक्त अथवा आयकर आयुक्त को, अन्य बातों के साथ-साथ ऐसे न्यास अथवा सोसाइटी के कार्य-कलापों की यथार्थता के सत्यापन के लिए किन्हीं दस्तावेजों अथवा सूचना को मंगाने अथवा जांच करने के लिए शक्तियां प्रदान की गई हैं।

(**ख**) जी, हां।

(**ग**) आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) के प्रावधान जिसके अंतर्गत प्रधान आयुक्त अथवा आयुक्त द्वारा अनंतिम पंजीयन अथवा अनुमोदन देने का आदेश पारित किया जा सकता है, निम्नवत हैं:

क्रम सं.	प्रावधान के अंतर्गत अनंतिम पंजीयन	प्रधान आयुक्त अथवा आयुक्त द्वारा अनंतिम पंजीयन प्रदान करने के लिए प्रावधान
1.	धारा 12कख	अधिनियम की 12कख की उपधारा (1) का खण्ड (ग)
2.	धारा 10 का खण्ड (23ग)	अधिनियम की धारा 10 के खण्ड (23ग) के दूसरे परन्तुक का खण्ड (iii)
3.	धारा 80छ	अधिनियम की धारा 80छ की उपधारा (5) के दूसरे परन्तुक का खण्ड (iii)

II. यह नोट किया जा सकता है कि ऐसे प्रावधान प्रधान आयुक्त अथवा आयुक्त को कोई दस्तावेज अथवा सूचना मंगाने अथवा जांच करने की शक्तियां प्रदान नहीं करते हैं।

III. इसके अतिरिक्त, सभी न्यासों अथवा सोसाइटियों, जिन्हें अधिनियम की धारा 10 के खण्ड (23ग), धारा 12कख तथा धारा 80छ के अंतर्गत अनंतिम पंजीयन प्रदान किया जाता है, को धारा 10 के खण्ड (23ग) के प्रथम परन्तुक के खण्ड (iii) अथवा धारा 12क की उपधारा (1) के खण्ड (कग) के उपखण्ड (iii) अथवा धारा 80छ की उपधारा (5) के प्रथम परन्तुक के खण्ड (iii), जैसा भी मामला हो, के अंतर्गत पंजीयन अथवा अनुमोदन की अवधि की समाप्ति से कम से कम छ: माह पहले अथवा अपने कार्य-कलाप शुरू करने के छ: माह के भीतर, जो भी पहले हो, पुन: पंजीयन लेना पड़ता है। इस प्रकार अनंतिम रूप से पंजीकृत अथवा अनुमोदित न्यासों और सोसाइटियों को कार्य-कलापों को शुरू करने के छ: माह के भीतर पुन: पंजीयन के लिए आवेदन करना पड़ता है।

IV. ऐसे मामलों में पुन: पंजीयन प्रदान करने समय प्रधान आयुक्त अथवा आयुक्त को ऐसे न्यास अथवा सोसाइटी के कार्य-कलापों की यथार्थता का सत्यापन करने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, किन्हीं दस्तावेजों अथवा सूचना को मंगाने अथवा जांच करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं।

(घ). क्रमश: धारा 10 के खण्ड (23ग), धारा 12कख तथा 80छ के अंतर्गत अनंतिम पंजीयन अनुमोदन प्रदान करने की प्रक्रिया दिनांक 26.03.2021 की सा.का.नि. 212(अ) वाली अधिसूचना संख्या 19/2021 के तहत सरकारी राजपत्र में अधिसूचित की गई है जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, अनंतिम पंजीयन अथवा अनुमोदन प्राप्त करने हेतु कंपनियों के लिए एक सामान्य आवेदन प्रपत्र 10क का प्रावधान किया गया है।

II. उक्त अधिसूचना में प्रावधान है कि यदि किसी भी समय यह पता चलता है कि प्रपत्र संख्या 10क को पूर्णरूपेण अथवा आंशिक सूचना न देकर अथवा झूठी अथवा गलत सूचना अथवा दस्तावेज न प्रदान करके भरा नहीं गया है जो धारा 10 के खण्ड (23ग), धारा 12क अथवा धारा 80छ के अंतर्गत अनंतिम पंजीयन अथवा अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवेदन करते समय प्रदान किया जाना अपेक्षित है तब प्रधान आयुक्त अथवा आयुक्त, सुनवाई का एक अवसर दिए जाने के उपरान्त अनंतिम पंजीयन के लिए दिए हुए अनुमोदन को रदद कर सकता है।

III. इसलिए जैसा कि उपर्युक्त से स्पष्ट है कि प्रक्रिया में अपेक्षित नियंत्रण एवं संन्तुलन पहले ही प्रदान कर दिए गए हैं ताकि न्यासों एवं सोसाइटियों को अनंतिम पंजीयन को प्रदान करने के लिए फर्जी एवं झूठे दावे करने से रोका जा सके।

(ङ.) उपर्युक्त "क" "ग" तथा "घ" में यथासंदर्भित नियंत्रण एवं सन्तुलन को ध्यान में रखते हुए नहीं।

******